भारत सरकार

रेल मंत्रालय

राज्य सभा

22.07.2022 के

तारांकित प्रश्न सं. 66 का उत्तर

बिहार में रेलगाड़ियों के स्टॉपेज को समाप्त किया जाना

***66 श्री राम नाथ ठाकुरः**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बिहार से गुजरने वाली जिन-जिन रेलगाड़ियों के विभिन्न स्टेशनों पर ठहराव (स्टॉपेज) को कोविड-19 चरण के पश्चात समाप्त कर दिया गया है, उन स्टेशनों का क्षेत्र-वार/मंडल-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षो के दौरान बिहार के विभिन्न स्टेशनों पर रेलगाड़ियों के ठहराव (स्टॉपेज) को समाप्त किये जाने संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की बिहार में कितने रेलवे स्टेशनों पर विभिन्न रेलगाड़ियों के लिए ठहराव (स्टॉपेज) बनाने की योजना है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

बिहार में रेलगाड़ियों के स्टॉपेज को समाप्त किए जाने के संबंध में दिनांक 22.07.2022 को राज्य सभा में श्री राम नाथ ठाकुर के तारांकित प्रश्न सं. 66 के भाग (क) से (ग) के उत्तर से संबंधित **विवरण।**

(क) से (ग): भारतीय रेल में रेलगाड़ी सेवाओं का परिचालन राज्य-वार आधार पर नहीं किया जाता है क्योंकि रेल नेटवर्क राज्यों की सीमाओं के आर-पार फैला हुआ है। इसके अलावा, भारतीय रेल ने आईआईटी-मुंबई की सहायता से समय-सारणी को युक्तिसंगत बनाने का कार्य शुरू किया है जिससे अन्य बातों के साथ-साथ अनुरक्षण गलियारा ब्लॉकों का सृजन करके, मौजूदा समय-सारणी में विसंगतियों को कम करके आदि से बेहतर यात्री संरक्षा प्रदान की जा सकेगी। इस प्रक्रिया में ठहरावों को युक्तिसंगत बनाना भी शामिल था। तदनुसार, बिहार राज्य में स्थित पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के 94 स्टेशनों पर कुछ रेलगाड़ियों का ठहराव बंद कर दिया गया है। बहरहाल, इन स्टेशनों पर पर्याप्त संख्या में रेलगाड़ी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जो प्रचालनिक व्यवहार्यता और वाणिज्यिक औचित्य पर निर्भर करती हैं। इसके अलावा, भारतीय रेल में रेलगाड़ियों के ठहराव का प्रावधान और इन्हें युक्तिसंगत बनाना एक सतत प्रक्रिया है।

******